उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून

निविदा सूचना संख्या : 04/अभि0/जला0नि0/2017–18 देहरादून, दिनांक : 30 दिसम्बर, 2017

––जलाशयों में मत्स्य शिकारमाही ठेके हेतु संशोधन सूचना––

इस कार्यालय द्वारा आंमत्रित निविदा सूचना संख्या 03/अभि0/जला0नि0 /2017–18 दिनांक 14.12.2017 को उल्लेखित निविदा खुलने की तिथि व समय – 05.01.2018 (अपराह्न 03:00 बजे) को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया जा रहा है। अब उक्त निविदा दिनांक 19.01.2018 (शुक्रवार) को अपराहन् 03:00 बजे खोली जायेगी।

अतः निविदा सूचना 03/अभि0/जला0नि0 /2017–18 दिनांक 14.12.2017 को इस स्तर तक संशोधित समझा जाय। निविदा खुलने का स्थान व निविदा के अन्य नियम एवं शर्ते पूर्ववत् रहेगें।

– सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून

निविदा सूचना संख्या : 03/अभि0/जला0नि0/2017–18 **देहरादून, दिनांक : 14 दिसम्बर, 2017**

––जलाशयों में मत्स्य शिकारमाही ठेके हेतु निविदा सूचना––

सर्वसाधारण/प्रतिष्ठित मत्स्य ठकेदारों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित निम्न जलाशयों की मत्स्य शिकारमाही का ठेका, विधिवत् निविदा पद्वति से निम्न विवरणानुसार सम्पन्न कराया जायेगा –

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	जनपद/ मण्डल का नाम	ठेके की अवधि	आरक्षित धनराशि	बयाने की धनराशि	निविदा स्थल	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	नानकसागर	उधमसिंहनगर/ कुमाऊँ मण्डल	वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक पाँच वर्षों हेतु।	₹101.12 लाख	₹10.12 लाख	सचिव मत्स्य कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, 04 सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड	दिनांक : 05.01.2018 समय : अपराह्न 03:00 बजे
2	तुमड़िया	उधमसिंहनगर/ कुमाऊँ मण्डल	वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक पाँच वर्षों हेतु।	₹43.13 लाख	₹15.00 लाख (मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)		
3	टिहरी	टिहरी/ गढवाल मण्डल	वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक पाँच वर्षों हेतु।	₹52.00 लाख	₹5.20 लाख		

निविदा के अन्य नियम व शर्ते, निविदा फार्म विभागीय वेवबसाईट www.fisheriesuk.org अथवा http://tenders/gov.in से डाउनलोड कर अथवा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून से क्रय कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म अन्तर्गत प्रत्येक जलाशय हेतु वित्तीय निविदा के पृथक–पृथक पपत्र सम्मिलित है, इच्छुक निविदादाता को जिस जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है, हेतु सम्बन्धित निविदा प्रपत्र पूर्ण भरकर अपनी निविदायें Financial Bid एवं Technical Bid पृथक–पृथक लिफाफे में रख एक ही लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत की जानी होगी।

टैण्डर डाउनलोड की तिथि : 18.12.2017 से 05.01.2018
टैण्डर विक्रय (कार्यालय से) : 26.12.2017 से 05.01.2018
टैण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि : 05.01.2018 (अपराह्न 02:00 बजे)
निविदा खुलने की तिथि व समय : 05.01.2018 (अपराह्न 03:00 बजे)

सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून

निविदा सूचना संख्या : 03/अभि0/जला0नि0/2017–18 देहरादून, दिनांक : 14 दिसम्बर, 2017

––जलाशयों में मत्स्य शिकारमाही ठेके हेतु निविदा की शर्ते ––

1. जलाशयों का निस्तारण, जहॉ है जैसा है के आधार पर निविदा द्वारा किया जायेगा।
2. जलाशयों में मत्स्य शिकारमाही ठेके की अवधि 05 (पांच) वर्षो हेतु होगी तथा अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष 2017–18 की अवधि स्वीकृत की दिनांक से एवं आगामी वर्षों में 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। प्रत्येक वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार द्वारा देय होगी।
3. मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अन्तर्गत पूर्व में कार्य कर चुके ऐसे ठेकेदार/समिति जिनके द्वारा अपनी कार्य अवधि के दौरान विभागीय निविदा शर्तों का उल्लघंन किया गया हो अथवा जलाशय का ठेका बीच में छोड़ दिया गया हो अथवा जिन पर विभागीय देय धनराशि बकाया हो, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. सर्वप्रथम जलाशयों हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र व शर्तें दिनांक 18.12.2017 से 05.01.2018 तक विभागीय वेबसाईट www.fisheriesuk.org अथवा http://tenders.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेगें। डाउनलोडेड निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹500.00 एवं जी0एस0टी0 धनराशि ₹90.00 (@18%) अर्थात कुल धनराशि ₹590.0 (₹ पाँच सौ नब्बे मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में देय हो, को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। **अथवा** निविदा प्रपत्र मत्स्य भवन, बड़ासी गान्ट (धन्याडी), रायपुर, देहरादून से किसी भी कार्यालय दिवस में दिनांक 26.12.2017 से 05.01.2018 (प्रात 11:00 बजे से सायं 04:30 बजे तक) तक निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकेगे। ऐसे निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र की क्रय रसीद संलग्न करना आवश्यक है।
5. यदि एक निविदादाता एक से अधिक जलाशयों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पृथक–पृथक निविदा फार्म क्रय/डाउनलोड कर अपनी निविदा प्रस्तुत की जानी होगी। एक निविदा फार्म में एक से अधिक जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को सम्बन्धित जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके की शर्तो के अनुरूप समस्त सुसंगत अभिलेख संलग्न किये जाने अनिवार्य होगें। ये अभिलेख एक साथ रख एक लिफाफे (Technical Bid लिफाफे) के अन्दर प्रस्तुत किये जायेगें, जो Technical Bid कहलायेगी। Technical Bid में किसी भी दशा में निविदा की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा और यदि इस तरह का कोई भी उल्लेख किया जाता है, अथवा निविदा की शर्तो के अनुरूप कोई भी सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदाओं पर कोई विचार न करते हुए प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दी जायेगी। ठेके के प्रथम वर्ष हेतु निविदा की धनराशि निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर प्रस्तुत की जानी होगी, जो Financial Bid कहलायेगी।

7. जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं द्वारा निविदा की शर्तो के अनुरूप निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख Technical Bid के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक होंगेः–

(i) निविदा में प्रतिभाग करने तथा निविदा की समस्त शर्तों (क्रमांक 01 से 60 तक) को माने जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र (निविदा फार्म में उपलब्ध समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराये जायेगे, जिसे सहमति पत्र माना जायेगा)।

(ii) डाउनलोडेड निविदा फार्म के साथ ₹590/– का बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत) अथवा क्रय निविदा फार्म के साथ क्रय रसीद की मूल प्रति।
(ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में देय होगा)।

(iii) धरोहर/बयाने की धनराशि (राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफट)
(निविदादाता द्वारा जिस जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, के अनुरूप धरोहर/बयाने की धनराशि निविदा में प्रस्तुत की जायेगी, जो सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून के पक्ष में देय होगी)।

(iv) विगत तीन वित्तीय वर्षो के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम ₹5.00 करोड़ का टर्नओवर के प्रमाणक, जिस हेतु ऑडिटेड बैलेंस शीट व लाभ हानि खाता एवं चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(v) सम्बन्धित निविदादाता जलाशय में मत्स्य शिकारमाही के कार्य को करने एवं बैंक गारंटी जमा करने के लिये वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिये। इसके लिये सभी निविदाकारों को ऑडिटेड बैलेंसशीट के अनुसार नेट वर्थ प्रमाण पत्र चार्टेर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा निर्गत व प्रमाणित और वर्तमान का हैसियत प्रमाण पत्र (SOLVENCY CERTIFICATE) जो कि बैंक द्वारा निर्गत व प्रमाणित होना चाहिए, प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त दोनों अभिलेख/प्रमाणक न्यूनतम आरक्षित मूल्य (जिस जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य) के दोगुने होना अनिवार्य है।

(vi) निविदादाता के फर्म/संस्था या कंपनी होने की दशा में बोर्ड रिसोल्युशन अथवा अधिकृत पत्र दिया जायेगा और मात्र निदेशक/सचिव/भागीदार/स्वामी को ही निविदा के लिये अधिकृत किया जा सकेगा, अतः केवल इन्हीं अधिकृत व्यक्ति का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। शेष निविदादाताओं को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) फर्म/संस्था/कम्पनी होने की दशा में सम्बन्धित बायलॉज, पार्टनरशिप डिड अथवा MOA/AOA की प्रति, निदेशको की सूची/शेयरहोल्डर की सूची/सदस्यों की सूची/भागीदारों की सूची/स्वामियों की सूची भी प्रस्तुत की जानी होगी।

(viii) धनराशि ₹100/– का स्टाम्प पेपर (अनुबंधित)।

(ix) पी0एफ0 और ई0एस0आई0 का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पी0एफ0 और ई0एस0आई0 का विगत तीन माहों का रिर्टन।

(x) निविदादाता किसी सरकारी संस्था अथवा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र जो ₹100.00 के स्टैम्प पेपर पर शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(xi) निविदा प्रपत्र के मूल्य की धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा निविदा प्रपत्र क्रय रसीद की प्रति।

(xii) अदेयता प्रमाण पत्र :– निविदाकार को ऑडिटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी प्रकार की अविवादित सरकारी देनदारी और किसी भी प्रकार की शासन द्वारा वसूली की डिक्री न होने का अदेयता प्रमाण पत्र चार्टेर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा निर्गत प्रस्तुत करना होगा।

(xiii) निविदाकार का अपने फर्म/संस्था/कम्पनी का कानूनी रूप से पंजीकृत न होने की दशा में उनकी निविदा पर कोई विचार विमर्श किये बिना ही निविदा निरस्त कर दी जायेगी। इसके लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(xiv) निविदादाता का नाम व पता (नोटरी द्वारा प्रमाणित) की मूल प्रति।

(xv) आधार कार्ड/राशनकार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र/व्यापार का खाता संख्या प्रमाण पत्र/टेलीफोन बिल/नगर निगम द्वारा जारी कोई मूल्यांकन आदेश अथवा रसीद में से किसी एक की प्रमाणित छायाप्रति।

(xvi) निविदादाता समिति अथवा फर्म होने की स्थिति में निविदा हेतु प्रतिभाग करने वाले सदस्य हेतु अधिकृत पत्र एवं सम्बन्धित अधिकृत सदस्य के क्रमांक 7(xv) के अनुरूप कोई भी पहचान पत्र का अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उपरोक्त बिन्दु संख्या 07 में इंगित समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र एक साथ रख एक लिफाफे (Technical Bid लिफाफे) के अन्दर प्रस्तुत किये जायेगें, जो Technical Bid कहलायेगी। उक्त में से कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

9. यदि कोई निविदादाता दो अथवा तीनो जलाशयों के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो निविदादाता को तद्नुसार टर्नओवर, सोलवेंसी और नेट वर्थ दोनो अथवा तीनों जलाशयों के लिये पृथक–पृथक पूरा करना अनिवार्य होगा। उदाहरणतः दो जलाशयों हेतु निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता का टर्नओवर दोगुना होकर ₹10.00 करोड़ होगा जबकि तीनो जलाशयों हेतु निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता का टर्नओवर तीन गुना होकर ₹15.00 करोड़ होगा।

10. निर्धारित संलग्न निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में जिस जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, का नाम निर्धारित तालिका में अंकित कर एवं उसके सम्मुख ठेके के प्रथम वर्ष (2017–18) हेतु निविदा की धनराशि अंकित कर बन्द लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी, जो Financial Bid कहलायेगी। Financial Bid में निविदा की धनराशि का उल्लेख करते हुये **सम्बन्धित निविदादाता का पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रपत्र/अभिलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे।**

11. यदि Financial Bid में उक्त के अतिरिक्त (उपरोक्तानुसार उल्लिखित) अन्य कोई उल्लेख अथवा कोई अभिलेख संलग्न किया जाता है तो सम्बन्धित निविदादाता की Financial Bid मान्य नहीं होगी। यदि Technical Bid में Financial Bid या रेट उल्लिखित किया जाता हैं तो उस निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12. लिफाफो पर Technical Bid अथवा Financial Bid इंगित करते हुए एक बड़े लिफाफे के अन्दर निविदा प्रस्तुत की जायेगी। बड़े लिफाफे के शीर्ष पर **''जलाशय का नाम'' एवं '' जलाशय निविदा 2017–18''** अंकित किया जाना आवश्यक है। (जलाशय का नाम का तात्पर्य – जिस जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है)। साथ ही समस्त लिफाफो पर निविदादाता का नाम व पता भी इंगित किया जाना अनिवार्य होगा।

13. निविदादाताओं द्वारा **स्पीड–पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक** के माध्यम से दिनांक 05.01.2018 तक (अपराह्न 02:00 बजे तक) उपलब्ध करायी गयी सीलबन्द निविदायें ही मान्य होगी अथवा निविदादाता स्वयं सीलबन्द निविदायें दिनांक 05.01.2018 को **अपराह्न 02:00** बजे तक **सचिव मत्स्य कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, 04 सुभाष रोड़, देहरादून** में रखी गयी निविदा पेटी में अपनी निविदायें डाल सकते है। उक्त निर्धारित नियत तिथि एवं समय के उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। साधारण डाक अथवा कोरियर से भेजी गयी निविदायें मान्य नहीं होगी तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त करायी निविदाओं हेतु अभिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. निर्धारित दिनांक 05.01.2018 को निविदा समिति द्वारा **अपराह्न 03:00 बजे** सचिव मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सील बन्द निविदाओं को सचिव मत्स्य कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, 04 सुभाष रोड़, देहरादून में खोला जायेगा। प्राप्त निविदाओं में से सर्वप्रथम Technical Bid खोली जायेंगी। Technical Bid के मूल्यांकन के उपरान्त मात्र सफल निविदादाताओं की ही Financial Bid समिति द्वारा खोली

जायेगी। Financial Bid में पाये गये उच्चत्तम निविदादाता के पक्ष में ही निविदा स्वीकार की जायेगी। आरक्षित मूल्य से कम प्राप्त निविदाओं को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

15. उच्चत्तम निविदादाता की निविदा को निविदा समिति द्वारा स्वीकार किया जायेगा। जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे निविदा धनराशि (वर्ष 2017–18 के मत्स्य शिकारमाही का ठेका) की प्रथम तिमाही के लिये निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल मौके पर जमा की जानी होगी। बयाने की धनराशि को एक चौथाई धनराशि में समायोजित किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा मौके पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा न कर पाने की दशा में बयाने की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
16. निविदाकार उक्त जलाशय के क्षेत्र में व उक्त व्यवसाय में कार्य करने के लिये अधिकृत होना चाहिये।
17. इस निविदा के अन्तर्गत ठेके को ठेकेदार द्वारा किसी अन्य को उपपट्टे (sub-let) पर नहीं दिया जा सकता है।
18. निविदाकार की किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी, अतः उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
19. इस निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तो की व्याख्या (Interpretation) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी निविदाकारों पर बंधनकारी होगा। निविदा के सम्बन्ध में भी निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी माना जायेगा।
20. कोई भी बेनामी निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी और किसी भी निविदाकार द्वारा एक जलाशय के लिये एक से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
21. सभी निविदाकार द्वारा दी गयी निविदाओं में अभिलेख व्यवस्थित रूप से, सूचीक्रमांक और पेज संख्या सहित होने चाहिए। निविदा में सम्मिलित सभी अभिलेख व अन्य पृष्ट पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व मोहर होना अनिवार्य है, ऐसा न होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार विमर्श किये बिना ही निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
22. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है उनकी बयाने की धनराशि को 30 दिवसों के अन्दर एकाउन्टपेयी चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से वापस किया जायेगा। इस अवधि हेतु निविदादाता को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
23. उच्चत्तम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम वर्ष के ठेके की एक चौथाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। द्वितीय वर्ष व ठेके के तृतीय वर्ष में तथा चतुर्थ वर्ष एवं पचंम वर्ष में भी ठेके की धनराशि की एक चौथाई धनराशि प्रत्येक वर्ष 30 जून तक जमा करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत की धनराशि प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार समान किश्तों में जमा करनी होगी।
24. उच्चतम बोली/निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत की जायेगी तथा तद्नुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र निविदाकर्ता व सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के द्वारा निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति अभिकरण की अभिरक्षा में रखी जायेगी। अनुबन्ध पत्र में किश्त जमा करने के पूर्ण विवरण की प्रविष्टि समय सारिणी सहित सुनिश्चित की जायेगी।
26. अनुबंध के समय सफल निविदादाता को पॉच वर्षो की कुल निविदा धनराशि का 5 प्रतिषत धरोहर धनराशि सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से अनुबंध पत्र सहित सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून की उपस्थिति में जमा किया जायेगा।

27. निविदा पूर्ण होने पर निविदा/उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को प्रथम तिमाही के रूप में देय नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्थल पर तत्काल ही जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त में अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय वर्ष के लिए ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ष के लिए तृतीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा पंचम वर्ष के लिए चतुर्थ वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि की वृद्वि ठेकेदार द्वारा देय होगी। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार ठकेदार को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई(1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक, तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

28. निविदा स्वीकृति से पूर्व ठेके की एक वर्ष की धनराशि के बराबर धनराशि निविदादाता ठेकेदार द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सचिव, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें जमा किया जायेगा और अगले वर्ष शिकारमाही की अनुमति बैंक गारण्टी की उक्त धनराशि के जमा करने के उपरान्त ही दी जायेगी और यदि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष ठेके की निर्धारित किस्तों का भुगतान निर्धारित समय सारणी में किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु समायोजित किया जायेगा और इस प्रकार समायोजित बैंक गारण्टी की धनराशि के अतिरिक्त आगामी वर्ष में ठेकेदार द्वारा मात्र आगामी वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की देय वृद्वि के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी उक्तानुसार जमा की जानी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण वर्ष की धनराशि एक साथ एडवांस (Advance) में जमा कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को बैंक गारन्टी से छूट प्रदान की जा सकती है।

29. यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 30 जून, 30 सितम्बर, 30 दिसम्बर एवं 31 मार्च को निर्धारित किस्त जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से उक्त लम्बित किश्त का समायोजन किस्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके ठीक दूसरे दिन, पत्येक दशा में किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित जलाशय प्रभारी, अधिशासी प्रबन्धक व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक का होगा।

30. ठेकेदार/समिति को अनुबंध के अनुसार पूरे पांच वर्षो तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप 05 वर्ष से पूर्व ठेका छोड़ दिया जाता है तो अभिकरण को हुयी वित्तीय हॉनि के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और ठेकेदार के विरूद्ध अवशेष धनराशि का समायोजन उसकी बैंक गारण्टी से किया जाएगा।

31. किस्तों की अदायगी में यदि कोई विलम्ब होता है तो ठेकेदार/समिति सचिव, अभिकरण से स्वीकृति प्राप्त करते हुए 02 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से ब्याज सहित किस्त अधिकतम एक माह विलम्ब से जमा कर सकेगा।

32. मध्यावधि में ठेका छोड़ने के समय ठेकेदार पर देय समस्त धनराशि का भुगतान ठकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर लिया जायेगा। बैंक गारंटी से धनराशि समायोजन के उपरान्त भी यदि ठकेदार पर कोई भी धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू–राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग को होगा।

33. सम्बन्धित ठेकेदार समिति/सरकार द्वारा नियत मानकानुसार ही एक सप्ताह/एक माह में मछलियों का शिकार कर सकेगा।

34. जलाशय का निस्तारण जिस ठेकेदार के पक्ष में होगा, उसे अभिकरण/विभाग की हैचरियों से वर्तमान एवं ठेके की अवधि अन्तर्गत पत्येक वर्ष में निर्धारित मानकों के अनुसार मत्स्य बीज संचित कराया जाना होगा। ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारी के समक्ष मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष किश्तों के साथ जमा किया जायेगा।

35. भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में किसी भी दशा में ठेकेदार द्वारा जलाशय में फिंगरलिंग से छोटा मत्स्य बीज संरक्षित नहीं किया जायेगा।

36. वित्तीय वर्ष 2017–18 में निविदा खुलने/ठेका स्वीकृत होने से पूर्व ही अभिकरण कार्यालय द्वारा जलाशय में मत्स्य बीज/फिंगरलिंग संचय किये जाने की स्थिति में ठेकेदार को नियमानुसार मत्स्य बीज संचय धनराशि अनिवार्य रूप से जमा की जानी होगी।

37. जलाशय में फिंगरलिंग संचय हेतु निजी क्षेत्र में निर्मित रियरिंग यूनिटों से अभिकरण द्वारा रियरिंग यूनिटों का चिन्हीकरण किये जाने की स्थिति में ठेकेदार सम्बन्धित चिन्हित रियरिंग यूनिट से निर्धारित मूल्य पर फिंगरलिंग क्रय कर संचय किये जाने हेतु बाध्य होगा।

38. ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारी के समक्ष मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष किस्तों के साथ ही जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अर्थात जलाशय में संचय किये गये मत्स्य बीज की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को ठेके की धनराशि के अतिरिक्त किया जाना होगा।

39. प्रत्येक वर्ष में माह सितम्बर से माह जून तक ही शिकारमाही की जा सकेगी तथा माह जुलाई एवं अगस्त में शिकारमाही पर पूर्ण रूपेण प्रतिबन्ध रहेगा।

40. संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माह अन्तर्गत धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में ठेकेदार द्वारा जलाशयों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबंध की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती धरोहर धनराशि से की जायेगी। यदि जलाशयों की सम्पत्ति को पहुंचाई गई हानि की धनराशि धरोहर धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे ठकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित किया जायेगा।

41. ठेकेदार द्वारा शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही उपयोग किया जायेगा, जिससे कि एक कि0ग्रा0 भार से कम की सिल्वर कार्प, भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प/कार्प महाशीर की मछलियों को कोई क्षति न हो।

42. जलाशयों में शिकारमाही 01 जुलाई से 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी, इसके उल्लंघन करने पर शिकारमाही की गयी मछली का मूल्य व आर्थिक दण्ड के रूप में ₹100/– प्रति किलोग्राम सहित सम्बन्धित ठेकेदार से तत्काल वसूल किया जायेगा। यदि इनकी मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक होगी तो अनुबन्ध निरस्त किये जाने पर भी सचिव, अभिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

43. यदि ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके की स्वीकृत अवधि के मध्य में ही किन्ही भी कारणो से ठेका छोड़ दिया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

44. शासन/अभिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शर्तो/प्रतिबंधो के उल्लघंन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए शिकारमाही तत्काल बन्द कर दी जायेगी और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका

भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जाम बैंक गारण्टी में से समायोजित कर लिया जायेगा।

45. जलाशय पर रखी गई किसी अन्य स्थान की मछली भी उसी जलाशय विशेष की मछली समझी जायेगी।
46. शासन के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा शिकारमाही मछली की जांच जलाशय के किनारे उसके गोदाम या रास्ते में कर सकते है। संदेह एंव असंतोषजनक स्थिति में मछली तत्काल जब्त की जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। जलाशयों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित ठेकेदार पर रू0 25,000/– तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।
47. ठेकेदार द्वारा ठेके की अवधि में जलाशय व उसके आस–पास के वातावरण की कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को कोई क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी।
48. विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
49. ठेकेदार यदि किसी कारणवश शिकारमाही बन्द करता है तो उसकी सूचना जलाशय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।
50. ठेकेदार द्वारा मजदूरी पर रखे गये शिकारियों को आज्ञा पत्र निर्गत करने, निरीक्षण करने तथा निरस्त करने का अधिकार जलाशय पर पदस्थ विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का होगा।
51. ठेकेदार को प्रतिदिन शिकारमाही की गई मछली निर्धारित स्थान पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित समय पर तौलनी होगी और तौली गयी मछली हेतु चालान की प्रति पर ठकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को भी प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होगें।
52. सिंचाई विभाग व वन विभाग की सड़कों का उपयोग करने के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुमति स्वयं ठकेदार द्वारा प्राप्त की जायेगी।
53. शिकारमाही जलाशय के सभी स्तरों पर करनी होगी, पानी का स्तर घटाने या बढाने की कोई भी प्रार्थना मस्य विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। जलाशयों में उपलब्ध जलीय वनस्पति की स्थिति के प्रति भी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगीं।
54. मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत–संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग/केज कल्चर व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कैनिंग इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु ठेकेदार को पूर्ण सहयोग करना होगा तथा इस हेतु यदि अभिकरण/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जाता है तो ठेकेदार को उसका भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
55. ठेकेदार और उसके प्रतिनिधि विभागों की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुॅचायेंगें तथा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।
56. जलाशय में मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जो कि नियमावली में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
57. ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो कि अपर सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी होगा, को संदर्भित किया जायेगा, मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के प्राविधानों के तहत की जायेगी। एवं न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।
58. **उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त टिहरी जलाशय की प्रबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत निम्न शर्ते भी अनुबंध का अंग मानी जायेगी एवं निविदादाता को स्वीकार्य होगीं –**

(i) सफल निविदादाता/ठेकेदार को अभिकरण कार्यालय से शिकारमाही आदेश प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत टिहरी से लाईसेन्स (शिकारमाही अनुमति) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तद्पोरान्त ही जलाशय में शिकारमाही की जा सकेगी।

(ii) टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित क्षेत्र में सफल निविदादाता/ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी द्वारा प्रवेश अथवा मत्स्य आखेट करने पर ठेकेदार का लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र मुख्य बांध से कोटी तक 02 कि0मी0 का क्षेत्रफल तथा मुख्य बांध से मदननेगी तक 02 कि0मी0 का क्षेत्रफल अर्थात कुल 04 कि0मी0 का क्षेत्रफल है।

(iii) टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित भाग एवं जनसहभागिता से स्वरोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित भाग को छोड़कर जलाशय के शेष भाग में ही मत्स्य आखेट का कार्य किया जा सकेगा।

(iv) स्वरोजगार को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल आदि को टिहरी जलाशय में मिलने वाली जलधाराओं में एंग्लिंग द्वारा मत्स्य आखेट हेतु ठेका नीलामी/निविदा/बोली के आधार पर आंवटित किया जाना है। अतः टिहरी जलाशय के उक्त क्षेत्रफल में शिकारमाही प्रतिबन्धित रहेगी। सफल निविदादाता/ठेकेदार टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित क्षेत्र के साथ–साथ जनसहभागिता से स्वरोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित भाग को छोडकर जलाशय के शेष भाग में ही नीलामी से मत्स्य आखेट का कार्य कर सकेगा। (जलधारायें – टिहरी जलाशय अन्तर्गत भागीरथी घाटी में मिलने वाली 07 जलधारायें यथा कोटी गाड़ (मनियार नाला), रतनों गाड़, स्यॉसू गाड़, कोटड़ी गाड़, नगुण गाड़, मणी गाड़, जलकुर तथा टिहरी जलाशय अन्तर्गत भिलंगना घाटी में मिलने वाली 04 जलधारायें यथा सान्दणा गाड़, सिल्युली गाड़, सुनहरी/घोण्टी गाड़ एवं बाल गंगा में भी शिकारमाही पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगी।)

(v) टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित क्षेत्र में ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी द्वारा प्रवेश अथवा मत्स्य आखेट करने पर ठेकेदार का लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

59. <u>अभिकरण की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे जलाशय जिनमें केज स्थापित है अथवा स्थापित किये जाते है, के सन्दर्भ में उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्ते भी अनुबंध का अंग मानी जायेगी एवं निविदादाता को स्वीकार्य होगीं – –</u>

(i) जलाशय में स्थापित केज, फ्लोटिंग हट, सोलर एयेटर एवं एफ0आर0पी0 मोटर बोट की देख–रेख ठेकेदार को की जानी होगी एवं वे इस हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

(ii) जलाशयों में स्थापित केजो में मत्स्य शिकारमाही का ठेका जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके के साथ ही किया जायेगा।

(iii) निविदा के माध्यम से केजो में मत्स्य शिकारमाही कार्यो हेतु आरक्षित धनराशि ₹37,500/– प्रति केज की दर से जलाशय में स्थापित कुल केजों हेतु गणित धनराशि के रूप में निर्धारित की जायेगी, जो केजो के वार्षिक किराये के रूप में मानी जायेगी।

(iv) ठेकेदार को निर्धारित दरों अन्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार विभागीय हैचरियों/फीड मिल से ही प्राप्त किया जाना होगा। केज कल्चर में पंगेसियस मछली पालन का कार्य सर्वोत्तम उचित है, के दृष्टिगत केजों में पंगेसियस मत्स्य पालन का ही कार्य किया जाना निर्धारित है। किसी स्थिति में पंगेसियस मत्स्य बीज उपलब्ध न होने पर उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय से सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार द्वारा केज में अन्य प्रजाति की मछली का संचय किया जा सकेगा।

(v) केज कल्चर अन्तर्गत निर्धारित मात्रा में निर्धारित साईज का मत्स्य बीज संचय एवं मत्स्य आहार का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार ठेकेदार क्रय किये जाने हेतु बाध्य होगा।

(vi) यदि अभिकरण में मत्स्य बीज/आहार उपलब्ध नहीं है अथवा अभिकरण अन्य स्रोतों से मत्स्य बीज/आहार की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके उपरान्त सचिव अभिकरण/सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार किसी अन्य स्रोत से मत्स्य बीज/आहार की आपूर्ति कर सकेगा।

(vii) विभाग/अभिकरण यदि सम्बन्धित जलाशय में अतिरिक्त केज स्थापित करता है तो अनुज्ञप्तिधारी को सम्बन्धित केजों एवं सम्बन्धित सामग्रियों हेतु पृथक से अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाना होगा एवं अनुबंध के समय ठेकेदार को ₹37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजों हेतु गणित धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा की जानी होगी। (एफ0डी0आर0 की गणना → 01 केज की आरक्षित धनराशि = ₹37,500/– के समतुल्य)

(viii) जलाशय में स्थापित होने वाले अतिरिक्त केजो हेतु धनराशि ₹37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजो के सापेक्ष देय धनराशि ठेकेदार को जमा की जानी होगी, जिसे ठेकेदार द्वारा जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके की देय चार किश्तों के साथ निर्धारित समय–सारणी अर्थात 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च में जमा किया जाना होगा। इस प्रकार ठेकेदार को प्रत्येक किश्त में ₹9,375/– प्रति केज की दर से कुल केजो हेतु गणित धनराशि जमा की जानी होगी।

(ix) जलाशय में मत्स्य शिकारमाही कार्यो की अनुबंध अवधि सफल रूप से समाप्त होने पर जलाशय के ठेके एवं केज हेतु जमा एफ0डी0आर0 को अवमुक्त किया जायेगा। यदि ठेकेदार पर किसी भी स्तर पर कोई धनराशि अवशेष रहती है अथवा स्थापित केजो में कोई टूट–फूट होती है तो उक्त एफ0डी0आर0 से धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

(x) जलाशय में स्थापित केज एवं सम्बन्धित अन्य सामग्रियॉ यथा फ्लोटिग हट, एफ0आर0पी0 बोट, सालेर एरेटर आदि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुॅचने पर ठेकेदार से क्षति के दृष्टिकोण से धनराशि वसूली जायेगी। क्षति का आंकलन उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण/मत्स्य विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के माध्यम से निर्धारित कराया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(xi) यदि ठेकेदार जलाशय में स्थापित केजों का बीमा कराना चाहते है, तो वे अपने स्तर से बीमा कराये जाने हेतु स्वतंत्र होगें। इस हेतु विभाग/अभिकरण द्वारा कोई वित्तीय सहयोग उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(xii) जलाशय में स्थापित केज मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की बौद्विक सम्पदा है, जिस पर पूर्ण अधिकार मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण का होगा एवं केज, हट, मोटर बोट आदि के सम्बन्ध में ठेकेदार को मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सभी शर्ते मान्य होंगी।

60. इस प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्ते अनुबन्ध का अंग समझी जायेंगी।

--×--

निविदा प्रपत्र मूल्य ₹500 + जी0एस0टी0@18% ₹ 90 = ₹ 590

" निविदा प्रपत्र (Financial Bid) "

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून

—— जलाशय में मछली के ठेके निस्तारण हेतु निविदा प्रपत्र ——

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित जलाशय के ठेके के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) की संलग्न सभी शर्तो व निविदा सूचना को पढ़ लिया है व भली भांति समझ लिया गया है। मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार है। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुये निर्धारित स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र पूर्ण करने को तैयार हूँ/है और निविदा में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य व बयाने की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। निविदा की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पूर्ण कर जलाशय में शिकारमाही आदेश प्राप्त करने हेतु बाध्य होंगा/होगें।

क्र0सं0	जलाशय का नाम	ठेके के प्रथम वर्ष (2017–18) हेतु निविदा के अन्तर्गत निविदा की धनराशि (धनराशि ₹ में)
1	2	3
1.		

1. निविदादाता का नाम .....

2. निविदादाता का पूरा पता (नोटरी द्वारा प्रमाणित पते के अनुसार) तथा पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति (निविदा शर्त संख्या 7 (XV) के अनुसार .....

.....

निविदादाता अथवा
निविदादाता के प्रतिनिधि
का फोटोग्राफ

(यहॉ पर चिपकायी
जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक .....